

यवतमाल के बुढीचा चिवड़ा ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

दाते कॉलेज मैदान पर विशाल आयोजन, शेफ विष्णु मनोहर ने तैयार किया साढ़े तीन टन चिवड़ा

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार
यवतमाल, 28 अक्टूबर-वर्हांड की खाद्य संस्कृति की अनूठी पहचान और यवतमालकरों के दिलों में खास जगह रखने वाले प्रसिद्ध ‘बुढीचा चिवड़ा’ ने अब विश्व पटल पर अपनी पहचान दर्ज कराई है. मंगलवार को दाते कॉलेज परिसर में मशहूर शेफ विष्णु मनोहर ने 3,500 किलो (साढ़े तीन क्विंटल नहीं, बल्कि साढ़े तीन टन) चिवड़ा तैयार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया.

एस.एल. फाउंडेशन की पहल और शहर की विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के सहयोग से इस पारंपरिक व्यंजन को ‘वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया’ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया गया. तैयार चिवड़े का नागरिकों, विभिन्न स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं को निःशुल्क वितरण किया गया.

पारंपरिक खाद्य पहचान
यवतमाल के पारंपरिक स्वाद



वर्ष 1936 में अंजनाबाई रामचंद्र भुजाड़े ने की थी शुरूआत

को देश-दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से शेफ विष्णु मनोहर, प्राज्ञता पै और एस.एल. फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने करीब छह महीने

पहले इस विश्व रिकॉर्ड का संकल्प लिया था. इसके लिए दाते कॉलेज के मैदान में सोमवार रात से ही चिवड़ा बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी. इसमें चिवड़ा तैयार करने के

इस विशाल आयोजन के लिए शनिवार को ही कोराड़ी से एक विशालकाय कढ़ाई यवतमाल लाई गई थी. इसमें चिवड़ा तैयार करने के

90 साल पुरानी है ‘बुढीचा चिवड़ा’ की परंपरा

यवतमाल का नाम आते ही यहां के लोगों के मन में सबसे पहले ‘बुढीचा चिवड़ा’ का ख्याल आता है. आज इसकी एक पुडिया करीब 20 रुपये में मिलती है, जबकि लगभग 90 साल पहले इसकी कीमत केवल एक आना यानी छह पैसे थी.

बताया जाता है कि अंजनाबाई रामचंद्र भुजाड़े ने वर्ष 1936 में यवतमाल के आजाद मैदान में चिवड़ा बेचने की शुरूआत की थी. धीरे-धीरे इसका स्वाद इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग इसे ‘बुढीचा चिवड़ा’ कहने लगे. इसके बाद श्रावण रामचंद्र भुजाड़े ने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया. तीसरी पीढ़ी में अशोक श्रावण भुजाड़े ने इसे घर-घर तक पहुंचाया. वर्तमान में चौथी पीढ़ी के अजय अशोक भुजाड़े इस पारंपरिक व्यवसाय को संभाल रहे हैं.

लिए करीब 100 से अधिक कर्मचारी दिन-रात जुटे रहे. एस.एल. फाउंडेशन के अध्यक्ष अश्विन सव्वालाखे और उनकी पूरी टीम के अथक प्रयासों से यवतमाल की इस पारंपरिक खाद्य पहचान को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया.

विष्णु मनोहर का 33वां विश्व रिकॉर्ड
शेफ विष्णु मनोहर अपने अनूठे

पाक प्रयोगों और बड़े पैमाने पर व्यंजन तैयार करने के लिए प्रसिद्ध हैं. उन्होंने जलगांव के प्रसिद्ध ‘वांग्याच्या भरित’ यानी बैंगन के भरते से विश्व रिकॉर्ड बनाने की श्रृंखला शुरू की थी. अब तक उनके नाम 33 रिकॉर्ड दर्ज होने की जानकारी दी गई है. अमेरिका के पैनफैक में 34वां रिकॉर्ड बनाने के बाद यवतमाल का ‘बुढीचा चिवड़ा’ उनका 35वां विश्व रिकॉर्ड बना.

घायलों के लिए देवदूत बने उपअभियंता निलेश चौधरी!

मड़की गांव के पास दो बाइक सवारों की आमने-सामने भिड़ंत



मोहसिन शेख/प्रतिदिन अखबार
चिखलदग- परतवाड़ा मार्ग पर मड़की गांव के पास मंगलवार, 27 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे दो बाइक सवारों के बीच भीषण भिड़ंत हो गई. इस हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे चिखलदरा के बांधकाम विभाग के उपअभियंता निलेश चौधरी ने घायलों की मदद के लिए तत्परता दिखाई और मानवता की मिसाल पेश की.

हादसे के समय उपअभियंता

निलेश चौधरी अपनी ड्यूटी पूरी कर लौट रहे थे. इसी दौरान सड़क हादसे की जानकारी मिलने पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते घायलों की सहायता की. उन्होंने घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग किया. चिखलदरा के थानेदार प्रवीण कुमार पाटिल भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस और निलेश चौधरी के सहयोग से दोनों घायलों को चिखलदरा की 108 एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए अचलपुर उपजिला अस्पताल रेफर किया गया.

घायलों की मदद के लिए आगे आना और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करना मानवीय संवेदनशीलता का परिचायक है. चौधरी ने यह साबित किया कि एक अधिकारी की पहचान केवल उसके पद और कर्तव्यों से नहीं, बल्कि जरूरत के समय उसके द्वारा किए गए मानवीय कार्यों से भी होती है.

पद से बदकर इंसानियत, निलेश चौधरी ने पेश की मिसाल

आज के दौर में जब सड़क हादसों के दौरान कई बार लोग मदद करने से कतराते हैं. ऐसे में ड्यूटी से लौट रहे एक अधिकारी का घायलों की सहायता के लिए आगे आना सराहनीय है. निलेश चौधरी ने घायलों की मदद कर यह संदेश दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है और जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा मानवीय धर्म है. हादसे में घायल दोनों बाइक सवारों के स्वास्थ्य को लेकर आगे की जानकारी सामने आना बाकी है.

कीर्तनकार समाज का चित्र बदल सकता है- डॉ. प्रशांत ठाकरे

संवाददाता/प्रतिदिन अखबार
गुरुकुंज मोझरी, 28 अक्टूबर - वेद का विचार, उपनिषद का विचार व वेदांत का विचार ईसान के जीवन को मिले और उससे ईसान का निर्माण हो, यह जो महाराज का विचार था; उस विचार को आगे बढ़ाने की दृष्टि यानी कीर्तन है. समाज का पट अथवा चित्र को बदलने की ताकद एक व्यक्ति में होती है, उसका नाम कीर्तनकार है. यह बात डॉ. प्रशांत ठाकरे ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का 58वां पुण्यतिथि महोत्सव में वारकरी कीर्तन सम्मेलन के उद्घाटनीय भाषण में की. इस सम्मेलन में अध्यक्ष लक्ष्मणदास काले, उद्घाटक गुरु चंदेले नाना (संविच, जो वारकरी शिक्षा संस्था, आळंदी देवाची) जबकि प्रमुख



गुरुकुंज मोझरी में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का 58वां पुण्यतिथि महोत्सव

अतिथि के तौर पर संदीप महाराज गिहे, श्याम नारायण चौबे, शालीग्राम खेड़कर, संचालक मंडल की अध्यक्ष पुष्पा बोंडे, उपसर्वाधिकारी बाबाबाव पाटिल, सहसचिव जनार्दन बोथे, प्रचार प्रमुख गोपाल कडू, कार्यकारिणी सदस्या पौर्णिमा सवाई, डॉ. सूर्यप्रकाश जयस्वाल, इंजी. रमेश ढवले, काठोले गुरुजी, निस्ताने आदि उपस्थित थे.

डॉ. ठाकरे ने आगे बताया कि, कीर्तनकार यह समाज को स्वच्छ करने वाला व्यक्ति है. कीर्तनकार ने कैसे खड़े रहना चाहिए, उसने कैसे बात करें, यह भी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने ‘लहर की बरखा’ में बताया हुआ है. ग्रामगीता यह अगर तत्वज्ञान के जीवन के सर्वकश विचारों पर बात करनेवाला ग्रंथ हो तो, राष्ट्रसंत का ‘लहर की बरखा’

यह ‘ओवीबद्ध’ अनुभव है. कीर्तनकार ने शेर के जैसे खड़े रहकर नहीं चलाया बल्कि उसके कदम भी शेर के जैसे पड़ने चाहिए. सिर्फ ‘त्याग करो, त्याग करो’ ऐसा कहकर नहीं चलेगा. कीर्तनकार ने समाज को बोध देते समय समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका चिंतन करना चाहिए. कीर्तन की मर्यादा नाथ महाराज, ज्ञानोबा ने वर्णन की हुई है.

राधाकृष्ण मंदिर में 72 कन्याओं का पूजन

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार
अमरावती, 28 अक्टूबर-प्रतिवर्षानुसार जगत जननी मातारानी की आराधना के साथ ही कन्या रुप में माता का पूजन माहेश्वरी पंचायत, राजस्थानी हितकारक महिला मंडल एवं माहेश्वरी महिला मंडल (पंचायत अंतर्गत) द्वारा भक्ति पूर्ण माहौल में किया गया.

17 अक्टूबर को माहेश्वरी भवन राधाकृष्ण मंदिर में 72 कन्याओं का पूजन विधिवत श्रद्धा के साथ किया गया. स्वादिष्ट भोजन प्रसाद के साथ ही कन्याओं को स्टील का लंच बॉक्स, नोटबुक, नेपकिन एवं फ्रूट्स थेंट स्वरूप दिये गये. सभी कन्याओं का मनमोहक श्रृंगार देखकर ऐसा लगा मानो साक्षात् नवदुर्गा मां अपने स्वरूप में अवतरित हो रही हैं. जम्मा गायक संगीता खंडेलवाल ने अपने मधुर भजन से माताजी का विधि पूर्वक आवाहन किया.

राजस्थानी हितकारक महिला मंडल की अध्यक्ष उर्मिला कलंत्री,



नवरात्रि पर श्री माहेश्वरी समाज ने कराया कन्या मोज

सचिव समता केडिया, कोषाध्यक्ष सोनाली राठी, माहेश्वरी महिला मंडल अध्यक्ष निशा जाजू, सचिव दीपिका मंत्री, कोषाध्यक्ष कीर्ति चांडक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उषा मंत्री, राजेश्वरी वर्मा, रेखा अग्रवाल, अर्चना देवडिया, कल्पना मालानी,

शीतल करवा, शिल्पा नावंदर, रुपाली लह्ठा, सारिका पंसारी, कीर्ति अग्रवाल, किरण मंत्री, दीपिका मंत्री मोनिका व्यास, ममता असोपा ने अथक परिश्रम किया. कार्यक्रम के निरोधन हेतु संतोष माधोगडिया, प्रा. डॉ. सोनल चांडक, अलका

गट्टानी, हेमलता नरेडी, रेखा भूतड़ा, सुनीता लह्ठा, शीतल करवा, कोमल सोनी, रुचि खंडेलवाल, वैशाली जाजू, शोभा राठी, मानसी चांडक, अमृता वर्मा, बरखा अग्रवाल, शोभा बजाज ने सहयोग किया.

कार्यक्रम में राजस्थानी हितकारक मंडल के सचिव रामेश्वर गगड़, माहेश्वरी पंचायत के अध्यक्ष पुरेश साबू, जगदीश कलंत्री, संजय राठी, राधेश्याम भूतड़ा, दामोदर बजाज, नितिन सावला, बिहारी बूब, विनोद डागा, चंदन मंत्री, अनिल नरेडी, पार्षद ललित रतावा, अनिता साबू, सरला कलंत्री, अरुणा भूतड़ा, जिला सचिव वनिता डागा, तहसील अध्यक्ष रानी करवा, मंजु कलंत्री, रिया भूतड़ा, माया जाजू, प्रिया लह्ठा, आरती दायमा, मोनिका व्यास, ममता असोपा, सुनीता वर्मा, श्रुति राठी, श्रद्धा राठी, श्रुति कलंत्री, सुनीता शशिकांत अग्रवाल, अपर्णा अग्रवाल, विजया पू. राठी, उषा सु. राठी, राधिका अटल, पूजा तापाडिया, खुशबु मुंधड़ा, काजल साबू, ज्योति भंडारी, खुशबू डोबा, शिवांगी शर्मा, नेहा राठी, कोमल खंडेलवाल, श्रुति पुरोहित, डॉ. ध्वनि वर्मा, वैष्णवी वर्मा, चंचल झंवर आदि सदस्या इस अवसर पर उपस्थित थीं.

प्रतिनिधि/ प्रतिदिन अखबार
अमरावती. पांच लाख रुपये के चेक अनादर मामले में अमरावती के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक 3 ने 12 अक्टूबर 2026 को आरोपी संदीप पुंडलिकराव कदम को दोषमुक्त कर दिया. यह मामला निर्माण कार्य के लेन-देन से संबंधित था.

फौजदारी प्रकरण क्रमांक 4888/22 में शिकायतकर्ता अक्षय किशोर यादव ने परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, आरोपी की मां के घर, जहाँ निर्माण कार्य के भुगतान के रूप में पांच लाख रुपये का चेक दिया गया था. चेक बैंक में जमा करने पर हस्ताक्षर मेल नहीं खाने के कारण अनादरित हो गया था.

निर्माण कार्य की दर को लेकर सामने आई विसंगति
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने

शहर में सजेगा शगुन एजीबिशन 2026

इस दिवाली शॉपिंग का शाही अंदाज!

तीन दिन खरीदारी के साथ फ्री दिवाली गिफ्ट पाने का मौका



प्रतिनिधि/ प्रतिदिन अखबार
अमरावती. दिवाली का त्योहार हो और खरीदारी में फैशन, खूबसूरती तथा लाइफस्टाइल का नया अंदाज शामिल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है! त्योहार की तैयारियों को खास बनाने और खरीदारी के अनुभव में नया रंग भरने के लिए अमरावती में शगुन एजीबिशन 2026 का आयोजन किया जा रहा है. 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक राजापेट स्थित द ओक रेस्टोरेंट में आयोजित होने वाली यह तीन दिवसीय प्रदर्शनी शहरवासियों को फैशन, ज्वेलरी, ब्यूटी और लाइफस्टाइल उत्पादों की खरीदारी के साथ फ्री दिवाली गिफ्ट.

तारीख और स्थान
नोट कर लीजिए
आयोजन: शगुन एजीबिशन 2026
तारीख: 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026
स्थान: द ओक रेस्टोरेंट, राजापेट, अमरावती
खास आकर्षण: फैशन, ज्वेलरी, ब्यूटी और लाइफस्टाइल उत्पादों की खरीदारी के साथ फ्री दिवाली गिफ्ट.

और अपनी जरूरत व पसंद के अनुसार विकल्प तलाशने का मौका मिलेगा. अलग-अलग श्रेणियों के उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से खरीदारी के लिए अलग-अलग जगहों पर जाने की जरूरत भी कम हो सकती है.

खरीदारी के साथ फ्री दिवाली गिफ्ट का आकर्षण
शगुन एजीबिशन 2026 का एक खास आकर्षण यहां आने वाले विजिटर्स के लिए रखा गया फ्री दिवाली गिफ्ट है. आयोजकों की ओर से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वे एजीबिशन में आएँ, अपनी पसंद की खरीदारी करें और इस विशेष उपहार का लाभ उठाएँ. त्योहार के उत्साह के बीच यह पहल विजिटर्स के अनुभव को और यादगार बनाने का प्रयास है. गिफ्ट से संबंधित विस्तृत नियम और शर्तों की जानकारी आयोजकों से प्राप्त की जा सकती है.

तीन दिन, खरीदारी और सेलिब्रेशन का खास मौका
शगुन एजीबिशन केवल खरीदारी तक सीमित नहीं, बल्कि त्योहार के माहौल में नए ट्रेंड्स को जानने और अलग-अलग उत्पादों को एक्सप्लोर करने का अवसर भी होगी. परिवार और दोस्तों के साथ यहां पहुंचकर लोग दिवाली की खरीदारी को एक खास अनुभव बना सकते हैं. अमरावतीवासियों के लिए यह तीन दिवसीय आयोजन फैशन, ज्वेलरी, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की दुनिया से रूबरू होने का अवसर लेकर आ रहा है.तो फिर देर किस बात की, इस दिवाली खरीदारी को दीजिए एक नया अंदाज. शगुन एजीबिशन 2026 में आइए, नए कलेक्शन एक्सप्लोर कीजिए, अपनी पसंद के उत्पाद चुनिए और त्योहार की खुशियों को बनाइए और भी खास.

महिला से अश्लील गाली-गलौज

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार
अमरावती - राहुल नगर क्षेत्र में एक महिला के साथ कथित तौर पर अश्लील गाली-गलौज करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

धारणी के शिक्षा विस्तार अधिकारी निलंबित

सीईओ का दनका

और जनसेवक के कर्तव्यों में कसूर किए जाने का ठपका रखते हुए निलंबन की कार्रवाई की है.

धारणी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित विविध विभागों की जायजा बैठक में निमकर अनुपस्थित थे. तदनुसार अनुपस्थित कर्मचारियों को सीईओ के आदेशानुसार कारण

सीईओ का दनका

और जनसेवक के कर्तव्यों में कसूर किए जाने का ठपका रखते हुए निलंबन की कार्रवाई की है.

धारणी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित विविध विभागों की जायजा बैठक में निमकर अनुपस्थित थे. तदनुसार अनुपस्थित कर्मचारियों को सीईओ के आदेशानुसार कारण

पांच लाख के चेक बाउंस मामले में आरोपी बरी

निर्माण कार्य के भुगतान से जुड़ा था विवाद

निर्माण कार्य की दर को लेकर शिकायत में मौजूद विसंगतियों और आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता, ठेकेदार तथा मजदूरों को किए गए बैंक हस्तांतरण के रिकॉर्ड न्यायालय के सामने रखे.

निर्माण कार्य की दर शिकायत में 9,050 रुपये प्रति वर्ग फुट बताई गई थी. हालांकि, जिन्हें के दौरान शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि यह दर टंकण की गलती के कारण दर्ज हुई थी और वास्तविक दर 1,050 रुपये प्रति वर्ग फुट होनी चाहिए थी.

बैंक लेन-देन और साक्ष्यों पर अदालत का जोर
न्यायालय ने बैंक लेन-देन के रिकॉर्ड, शिकायतकर्ता के बयान में

मौजूद विसंगतियों और चेक के पीछे कानूनी देनदारी साबित करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया.

फैसले में कहा गया कि केवल चेक अनादरित होने या कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देने से आरोपी का अपराध साबित नहीं हो जाता. शिकायतकर्ता को यह भी साबित करना आवश्यक है कि चेक किसी कानूनी रूप से वसूली योग्य देनदारी के भुगतान के लिए जारी किया गया था.

संदीप कदम को दोषमुक्त किया
न्यायालय ने माना कि संदीप पुंडलिकराव कदम कानूनी देनदारी से संबंधित वैधानिक अनुमान को खारिज करने में सफल रहे. इसके बाद उन्हें परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज मामले में दोषमुक्त कर दिया गया.

इस प्रकरण में आरोपी की ओर से अधिवक्ता रवि गायकवाड़ ने पैरवी की.